<u>राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर</u>

अपील संख्या :–3058/2022

भगवान माली

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं कम अति.निदेशक (प्रशा.) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडारायसिंह, जिला टोंक।
4. रणजीत कौर, नर्सिंग अधिकारी द्वारा चिकित्सालय केन्द्र टोडारायसिंह, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.11.2022

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री दिलीप कुरका, अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 05.08.2022 एवं 06.08.2022 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडारायसिंह, जिला टोंक में पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी क्रम 4 का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडारायसिंह, टोंक (अधिशेष) से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह टोंक में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है, परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन कहीं भी नहीं किया गया है एवं अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है, जिस पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 31.08.2022 पारित करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2022 का क्रियान्वयन

अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया।

3. उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के आशय से दुर्भावनापूर्वक जारी किया गया है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडारायसिंह टोंक में अधिशेष दर्शाते हुए पुनः यथावत् आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है।

4. उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र नहीं किया जाकर, केवल उसे एपीओ रखा गया है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया होने से दुर्भावनापूर्ण, अवैध एवं नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2022 को सम्पुष्ट करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 व 06.08.2022 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे।

5. निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आदेश दिनांक 05.08.2022 की पालना में उत्तरदाता द्वारा नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 06.08.2022 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। वर्तमान प्रकरण में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 06.08.2022 को अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में स्थगित किया गया है। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–आर/4/4) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन पीएचसी, सिरोही टोंक में कर दिया गया है। अतः अपील मय स्थगन आदेश खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

7. अभिलेख से प्रकट है कि पूर्व में जो स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.08.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.08.2022 अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी किये गये थे, उसे चुनौती दिये जाने पर अधिकरण ने निजी प्रत्यर्थी को अधिशेष होने के बावजूद पदस्थापित स्थान पर यथावत रखते हुए अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किये जाने एवं अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किये जाने एवं उसे

कार्यमुक्त किये जाने के आधार पर स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2022 को पारित किया था।

8. आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–आर/4/4) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन पीएचसी, सिरोही, टोंक में कर दिया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जनहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी उक्त आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना, विधि एवं नियम विरूद्धता दर्शित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में अधिकरण के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे मय स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2022 के, एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

10. आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)